न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 49/22 GCMS NO 2022/84

1. हरिप्रसाद पुत्र चिरंजी
2. रमेश पुत्र चिरंजी
3. रामसहाय पुत्र चिरंजी
4. प्रेम पुत्र रमेश
5. कैलाशी पत्नि हरिप्रसाद
6. शांति पत्नि चिरंजी
7. नीलू पत्नि रामसहाय समस्त जातियान बलाई निवासी पीपलदा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र बजरंग लाल जाति महाजन निवासी पीपलदा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
2. सरूपी बेवा बजरंग लाल जाति महाजन निवासी पीपलदा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर (फौत)(हजफ)

(अपील विरूद्व मु0नं0 15/19(155/05) निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री हिम्मत सिह

अभिभाषक रैस्पो0 श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल, श्री हरिमोहन जाट,

दिनांक 19.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा दावा बाबत बेदखली दिलाये जाने कब्जा एवं शास्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम पीपलदा पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण से पूर्व उक्त आराजी वादी संख्या 1 के पिता तथा वादी संख्या 2 के पति बजरंगलाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। बजरंग लाल के इन्तकाल के बाद वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। प्रतिवादीगण ने बिना किसी प्राधिकार के तथा अविधिपूर्ण तरीके से वादीगण की आराजी पर लठठ के जोर से दिनांक 29.10.05 को रात्रि को पश्चिमी मेड को तोडकर उत्तर तरफ तारबंदी कर उक्त आराजी मे एक पाटौर चढाकर अवैधानिक कब्जा कर लिया जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादीगण को जब दुसरे दिन उक्त तथ्य की जानकारी हुई तो वादी संख्या 1 आराजी पर गया और प्रतिवादीगण को आराजी पर कब्जा नही करने की बात कही तो प्रतिवादीगण झगडा फिसाद पर आमादा हो गये तथा ऐलानियां कहा कि हम तुमको इस आराजी पर काश्त नही करने देगे। तुमने कब्जा करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ एस सी/एस टी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा देगे। मजबूरन मुझ वादी को उसी दिन पुलिस थाना बौली मे उक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवा दी। परन्तु पुलिस द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही करने के कारण यह दावा करना आवश्यक हुआ। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जावे कि वादीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम पीपलदा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे एवं वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर जब तक प्रतिवादीगण अवैधानिक कब्जा बनाये रखते है उसका जुर्माना वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की खातेदारी की उक्त आराजी मे भविष्य मे कब्जे काश्त मे माने मजाहमत व मदालखत न करे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दियाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार/डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण लायके निरस्त है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का भली भॉति अवलोकन नही कर सरसरी तौर पर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपील संख्या 12/304 , 12/305 निर्णय दिनांक 7.9.18 मे राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पत्रावली रिमाण्ड किये जाने का निर्णय का सही प्रकार से अवलोकन नही किया जिसमे राजस्व अपील अधिकारी द्वारा आर्डर 41 रूल 27 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के माध्यम से पेश नक्शा व उसके रिबेटल मे प्रतिवादी द्वारा पेश किये जाने वाली साक्ष्य ली जाकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश के विरूद्व जाकर विभिन्न दस्तावेज को रिकार्ड पर ले सभी की साक्ष्य लेकर उक्त निर्णय के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो लायके निरस्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि आराजी ख0न0 1326/6 पर रेस्पो0 का कभी कब्जा काश्त नही रहा विवादित भूमि पर सदैव से अपीलांट व उनके परिवारजनो का कब्जा रहा है। खसरा न0 1326/10 व 1326/17 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा प्रतिवादी के बाबा झीता की पारिवारिक बट मे अपने पिता धन्ना से प्राप्त हुई तथा झीता की मृत्यु के बाद चिरंजी को विरासत मे प्राप्त हुई है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि खसरा न0 1326/10 व 1326217 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा का सीमाज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करवा था तो रेस्पो0 के पिता बजरंग लाल का कोई कब्जा काश्त नही था ना ही कोई मेड पडी हुई थी तथा सीमाज्ञान के समय चिरजीलाल को 30 वर्ष पुराना कब्जा था तथा राजस्व अधिकारियो ने दुर्भावनापूर्वक 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा की तरमीम अपीलांट के हक स्वामित्व व कब्जे की भूमि पर कर दी इस खेत पर कभी भी रेस्पो0 का कब्जा नही रहा है। अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो को आवंटन शुदा भूमि की तरमीम किस पटवारी द्वारा किस तारीख को की तथा उक्त आदेश की नकल वाद पत्र के साथ पेश नही की जिसमे स्पष्ट पता चलता कि समस्त तरमीम झूठी एवं मिथ्या तरीके से की गई है। अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 स्वर्ण जाति से है तथ अपीलांट अनुसूचित जाति से है अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 के पिता को 1975 मे भूमि अलाट होना कथाकथित रूप से बताई गई है तथा 1988 की सीमाज्ञान रिपोर्ट मे मौके पर बजरंग लाल का कब्जा नही होना तथ चिरजीलाल का कब्जा होना बताया है। तो बिना किसी प्रकार के कब्जे व काश्त के गैरखातेदारी की भूमि खातेदारी मे मात्र राजस्व कर्मचारियो से साज कर अपीलांट को बेदखल करने का षडयंत्र रचते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत प्रकार से रिट पीटीशन 368/19 रामसहाय बनाम सरकार को आधार बनाकर अपीलांट को अतिक्रमी माना है। जबकि उक्त क्रिमिनल रिवीजन उच्च न्यायालय मे लंबित है जिसका आज तक निर्णय नही हुआ है तथा फौजदारी न्यायालय का कोई भी निर्णय राजस्व न्यायालय के न्याय निर्णय हेतु बाध्यकारी नही है राजस्व न्यायालय को अपनी यहॉ पेश की गई साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रदर्श पी–3 नक्शा मे खसरा न0 1326/6 अलग दिखाया गया है उक्त आराजी रेस्पो0 को आवंटन होना बताता है जिसके नये नम्बर 2450/6503 रकबा 0.32 है0 बने है जो प्रदर्श 10 है जिसका नक्शा प्रदर्श 4 है अगर प्रदर्श 3 व प्रदर्श 4 का मिलान किया जावे तो दोनो नक्शे मेल नही करते है। सेटलमेट विभाग ने खसरा न0 1326/6 के नवीन नम्बरो को मौके की स्थिति के विपरीत दर्शा दिया है तथा सेटलमेट विभाग ने मौके की असल व वास्तविक स्थिति को तब्दील कर दिया है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर अपीलांट का दावा विरूद्व प्रतिवादी रेस्पो0 स्वीकार कर डिक्री फरमाने का आदेश पारित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो/वादीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम पीपलदा पर रेस्पो/वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो/वादीगण से पूर्व उक्त आराजी रेस्पो/वादी संख्या 1 के पिता तथा रेस्पो/वादी संख्या 2 के पति बजरंगलाल की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। बजरंग लाल के इन्तकाल के बाद रेस्पो/[illegible] निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट/प्रतिवादीगण ने बिना किसी प्राधिकार के तथा [illegible] तरीके से रेस्पो/वादीगण की उक्त आराजी पर लठठ के जोर से दिनांक 29.10.05 को [illegible] को पश्चिमी मेड को तोडकर चारो तरफ तारबंदी कर उक्त आराजी मे एक पाटौर चढाकर [illegible]वैधानिक कब्जा कर लिया जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उनको कोई अधिकार नही था। रेस्पो/वादीगण को जब दुसरे दिन उक्त तथ्य की जानकारी हुई तो रेस्पो/वादी संख्या 1 आराजी पर गया और अपीलांट/प्रतिवादीगण को आराजी पर कब्जा नही करने की बात कही तो अपीलांट/प्रतिवादीगण झगडा फिसाद पर आमादा हो गये तथा ऐलानियां कहा कि हम तुमको इस आराजी पर काश्त नही करने देगे। तुमने कब्जा करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ एस सी/एस टी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा देगे। मजबूरन मुझ रेस्पो/वादी को उसी दिन पुलिस थाना बौली मे उक्त अपीलांट/प्रतिवादीगण के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवा दी। परन्तु पुलिस द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही करने के कारण यह दावा करना आवश्यक हुआ। विवादित आराजीयात खसरा न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा का रेस्पो/वादी रिकार्डेड खातेदार है। जो पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से बखूवी साबित है। अपीलांट द्वारा अवैधानिक रूप से रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि पर रात्रि के समय पाटौर पोश चढाकर अतिक्रमण किया है तथा भूमि के चारो तरफ तार फेसिंग कर दी गई। जब रेस्पो/वादी द्वारा इस बाबत का उलाहना दिया गया तो अपींलाट द्वारा एस सी/एस टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। किसी खातेदार की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने से वह उस भूमि का मालिक/खातेदार नही होता है। अपीलांट द्वारा नाराजय रूप से रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर पाटौर पोश चढाकर कब्जा किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि राजस्व अपील प्रधिकारी कोटा के निर्देश अनुसार आर्डर 41 रूल 27 पर साक्ष्य लेकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिए था। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विवादित आराजीयात के सबंध मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही किसी प्रकार का पारित निर्णय ही विधिक निर्णय होता है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार ही समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि विवादित भूमि पर अपीलांट का काफी अर्सा पूर्व से ही कब्जा है परन्तु उनके द्वारा इसके सर्मथन मे किसी प्रकार का कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे विवादित आराजीयात ख0न0 1326/6 पर कब्जा सिद्व हो सके। बल्कि सत्यता यह है कि उक्त भूमि पर रेस्पो0 के पिता का आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा था उनकी मृत्यु के बाद रेस्पो0 का कब्जा काश्त है। जो राजस्व रिकार्ड से साबित है। यदि उक्त भूमि पर रेस्पो/वादी के पिता का आवंटन के समय से ही कब्जा नही होता तो आवंटन नियमो की शर्तो के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता था। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन झूठा एवं मिथ्या है। निरन्तर कब्जे के आधार पर ही विवादित भूमि का गैरखातेदारी से खातेदारी मे इन्द्राज हुआ है। जो राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे तनकीयात कायम की गई थी जिसमे तनकी संख्या 2 यह विरचित की गई थी कि आया पटवारी हल्का ने वादी से साठ गांठ कर प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की जमाबंदी मे विधि विरूद्व तरमीम की है। जिसे सिद्व करने का भांर प्रतिवादीगण/अपीलांट को भारित किया गया था। इस तनकी के सिद्व करने के संबंध मे प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

यह सिद्व हो सके की तरमीम विधि विरूद्व हुई है। बल्कि अधिनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि यह एक राजस्व प्रकिया है किसी भी बडे रकबे मे आवंटन होने की दशा मे कब्जे अनुसार आवटित भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे विधि अनुसार तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य सबूत लेकर उनको निर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। जो विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित की है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । वादीगण/अपीलांट का कथन रहा कि पटवारी हल्का द्वारा भूमि खसरा न0 1326/6 की तरमीम अपीलांट/वादीगण की आराजीयात ख0न0 1326/10, 1326/17 की जगह कर दी गई है। इस तथ्य को सिद्व करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 कायम कर अपीलांट को सिद्व करने हेतु भारित किया गया था परन्तु अपीलांट उक्त तथ्य को साबित नही पाये है। विवादित आराजीयात खसरा न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो/वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के संबंध मे पुलिस थाना बौली मे मुकदमे दर्ज हुए है जिसमे रेस्पो/वादी द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्व दर्ज कराये गये मुकदमे मे चालान पेश हुआ है तथा अपीलांट /प्रतिवादीगण द्वारा रेस्पो0/वादीगण के विरूद्व एस सी/एस टी एक्ट के तहत दर्ज कराये गये दो प्रकरणो मे पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अदम बकू मे झूठी साबित होने से एफ आर दी गई है। उक्त सम्पूर्ण तथ्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात भूमि खसरा न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम पीपलदा का वादी/रेस्पो0 खातेदार काश्तकार है। जो पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2034 लगायत 2051—54 प्रदर्श 4 लगायत 8 से स्पष्ट है। विवादित आराजीयात पर कब्जा वादीगण/रेस्पो0 का होना खसरा गिरदावरी सम्वत 2034 लगायत 2050 प्रदर्श 9 से सिद्व है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का भली भॉति अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली के मु0नं0 15/19 (155/05) मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.6.2022 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:09 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर